

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख अधिकारी, धोरीमना  
( जिला बाड़मेर ) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या : 79/2023

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. कालूराम पुत्र ठाकराराम
2. भींयाराम पुत्र ठाकराराम
3. सोनाराम पुत्र ठाकराराम
4. जयकिशन पुत्र रामकेन
5. धोकलाराम पुत्र रामकेन
6. भगवानाराम पुत्र रामकेन
7. भैराराम पुत्र रामकेन
8. आसूराम पुत्र फूसाराम
9. भाखराराम पुत्र फूसाराम
10. लाडूराम पुत्र फूसाराम
11. गोकलाराम पुत्र हीराराम
12. बुधराम पुत्र हीराराम
13. मोहनराम पुत्र हीराराम
14. भैराराम पुत्र वगताराम
15. हरिकिशन पुत्र वगताराम
16. बाबूराम पुत्र हरचंदराम
17. वगतावरी पत्नी हरचंदराम
18. श्रीराम पुत्र हरचंदराम
19. सगराम पुत्र हरचंदराम जाति विश्णोई निवासी खिचड़ों का वास पटवार हल्का बाण्ड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर राजस्थान।

1. केहराराम पुत्र खेताराम
2. गंगाराम पुत्र पाबूराम
3. दमाराम पुत्र खेताराम
4. नेनाराम पुत्र किसनाराम
5. मंगलाराम पाबूराम
6. लेहरो पत्नी मनुराम
7. विरधाराम पुत्र पाबूराम जाति भील निवासी राजनगर पटवार क्षेत्र उड़ासर तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।
8. इन्द्राराम पुत्र बीजाराम
9. करनाराम पुत्र हेमराज
10. गवरीदेवी पत्नी सताराम
11. चुनाराम पुत्र प्रतापाराम
12. जेठाराम पुत्र हेमराज
13. जमना पुत्री प्रेमा
14. ताराराम पुत्र हेमराज
15. दुर्गाराम पुत्र बीजाराम
16. दानाराम पुत्र हेमराज
17. पपुदेवी पत्नी हेमराज
18. पांचूदेवी पत्नी दुर्गाराम
19. पारू पुत्री प्रेमा
20. पालूदेवी पत्नी बीजाराम
21. पोकराराम पुत्र सताराम
22. मेटों पुत्री प्रेमा
23. मेहताराम पुत्र सताराम
24. मांगाराम पुत्र हेमराज
25. वगताराम पुत्र हरजीराम
26. वरजांगाराम पुत्र हरजीराम
27. समदादेवी पत्नी प्रतापाराम
28. हेलीदेवी पत्नी इंदाराम जाति भील निवासी राजनगर पटवार क्षेत्र उड़ासर तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।
29. निम्बाराम पुत्र बलूराम
30. मूलाराम पुत्र बलूराम जाति सुथार निवासी विनायक नगर पटवार क्षेत्र उड़ासर तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।
31. राज्य सरकार जरिये तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 21/06/2023

अधिवक्ता :- श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।



--: निर्णय :-

दिनांक : 31/10/23

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 का प्रस्तुत निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत तहसील धोरीमना पटवार मण्डल ग्राम विनायक नगर के मूल खसरा नम्बर 274 क्षेत्रफल 23.0428 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम वर्तमान

31/10/23  
उपखण्ड अधिकारी  
धोरीमना (बाड़मेर)

खसरा नम्बर 448/274, 453/274 क्षेत्रफल 0.4613, 3.2860 कुल क्षेत्रफल 3.7473 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 01 से 03, खसरा नम्बर 455/274, 456/274, 457/274 क्षेत्रफल 0.6799, 1.2626, 1.8049 कुल क्षेत्रफल 3.7474 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 04 से 07, खसरा नम्बर 449/274, 460/274 क्षेत्रफल 1.5135, 2.2339 कुल क्षेत्रफल 3.7474 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 08 से 10, खसरा नम्बर 450/274, 451/274 क्षेत्रफल 1.4549, 2.2905 कुल क्षेत्रफल 3.7454 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 11 से 13, खसरा नम्बर 454/274, क्षेत्रफल 3.7473 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 14 से 15, खसरा नम्बर 458/274, 459/274 क्षेत्रफल 1.9425, 1.8049 कुल क्षेत्रफल 3.7474 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 16 से 19, खसरा नम्बर 452/274, क्षेत्रफल 0.5606 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 01 से 19 के नाम से आये हुए है जो आगामी पदों में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित की जायेगी। जिसकी जमाबन्दी नकल व भू-नक्शा साथ संलग्न है। उपरोक्त खसरों की भूमि पर प्रार्थीगण की पैतृक/क्रयसुदा भूमि हैं जो प्रार्थीगण के नाम दर्ज के बाद से आज दिन तक खातेदारी में दर्ज होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं व प्रार्थीगण स्वयं के नाम से है। प्रार्थीगण के नाम से मूल खसरा नम्बर 274 दर्ज था अब विभक्त हो गया है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढा-सेढ ही पटवार मण्डल उड़ासर के ग्राम राजनगर के विप्रार्थी संख्या 01 से 07 तक के खेत खसरा नम्बर 273, ग्राम राजनगर के विप्रार्थी संख्या 08 से 28 तक के खेत खसरा नम्बर 271, ग्राम विनायक नगर विप्रार्थी संख्या 29 से 30 तक के खेत खसरा नम्बर 442/275 की भूमि आई हुई है, प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माटें तथा सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 30 तक के बीच काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है। तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि का जबरन सेढा तोड़कर खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थीगण को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढों बाबत विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि का श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के कार्यालय से भूमि सीमाज्ञान का आदेश क्रमांक/भू अ./2023/ सीमाज्ञान/57 दिनांक 27.02.2023 पटवारी हल्का उड़ासर को सीमाज्ञान का आदेश किया था। श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के आदेश की पालना में दिनांक 19.03.2023 को हल्का पटवारी उड़ासर द्वारा उपरोक्त खसरों का प्रार्थीगण व मौतबरान् के रुबरु सीमाज्ञान किया गया मौके पर पड़ोसी खातेदारान के रुबरु मुस्तकिल बिन्दु कायम कर जरीबे चलाकर रेत के धूम्वे बनाकर मूल खसरा नम्बर 274 की सीमाये कायम कर सीमाज्ञान का कार्यशुरु किया तो पड़ोसी खातेदारो ने विवाद शुरु कर सीमाज्ञान करने से मना किया, तथा विप्रार्थीगण ने कहा कि पत्थरगढ़ी का आदेश करा कर नेखम स्थापित कराया जावें। उसके बाद से लगातार विप्रार्थीगणों ने प्रार्थीनीगण को खेत से बेदखल करने की धमकिया दी तब हल्का पटवारी ने नेखमबंदी का आदेश श्रीमान् न्यायालय से प्राप्त करने हेतु श्रीमान् के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मौके पर विवाद की स्थिति होने के



31/10/23  
 उपरिष्ठ अधिकारी  
 धोरीमन्ना (वाइसर)

कारण राजस्व कर्मचारियों को शांतिपूर्ण नेखमबंदी करने हेतू संबंधित पुलिस थाना हल्का गुडामालानी/धोरीमना को निर्देशित किया जावे कि वो नेखमबंदी के दौरान मौके पर शांति बनाये रखने हेतू पुलिस ईमदाद प्रदान करावें। प्रार्थीगण नेखमबंदी संबंधी सामग्री मौके पर उपलब्ध करवाने एवं नेखमबंदी संबंधी फीस अदा करने को तैयार है। वादग्रस्त भूमि मौजा विनायकनगर पटवार मण्डल उड़ासर तहसील धोरीमन्ना में स्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/- रुपये का साथ पेश है। अतः श्रीमान्जी के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का खातेदारी के खेत पटवार मण्डल उड़ासर ग्राम विनायक नगर के मूल खसरा नम्बर 274 क्षेत्रफल 23.0428 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम वर्तमान खसरा नम्बर 448/274, 453/274 क्षेत्रफल 0.4613, 3.2860 कुल क्षेत्रफल 3.7473 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 01 से 03, खसरा नम्बर 455/274, 456/274, 457/274 क्षेत्रफल 0.6799, 1.2626, 1.8049 कुल क्षेत्रफल 3.7474 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 04 से 07, खसरा नम्बर 449/274, 460/274 क्षेत्रफल 1.5135, 2.2339 कुल क्षेत्रफल 3.7474 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 08 से 10, खसरा नम्बर 450/274, 451/274 क्षेत्रफल 1.4549, 2.2905 कुल क्षेत्रफल 3.7454 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 11 से 13, खसरा नम्बर 454/274, क्षेत्रफल 3.7473 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 14 से 15, खसरा नम्बर 458/274, 459/274 क्षेत्रफल 1.9425, 1.8049 कुल क्षेत्रफल 3.7474 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 16 से 19, खसरा नम्बर 452/274, क्षेत्रफल 0.5606 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 01 से 19 के चारों तरफ पक्की नेखमबन्दी/ पत्थरगद्दी का आवेदन स्वीकार कर आवश्यकतानुसार मय पुलिस ईमदाद से करवाने का आदेश फरवाने की कृपा करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को जरिए रजि. डाक से तलब किया गया, रजि. डाक से भेजे गए नोटिसों की डाक रसीदें अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई, अप्रार्थी सं. 01 ता 30 को भेजे गए नोटिस तीन माह से अधिक का समय होने के बावजूद हाजा न्यायालय में अनुपस्थिति के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में



हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पत्रावली तथा पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि पटवार मण्डल उड़ासर ग्राम विनायक नगर के मूल खसरा नम्बर 274 क्षेत्रफल 23.0428 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम वर्तमान खसरा नम्बर 448/274, 453/274 क्षेत्रफल 0.4613, 3.2860 कुल क्षेत्रफल 3.7473 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 01 से 03, खसरा नम्बर 455/274, 456/274, 457/274 क्षेत्रफल 0.6799, 1.2626, 1.8049 कुल क्षेत्रफल 3.7474 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 04 से 07, खसरा नम्बर 449/274, 460/274 क्षेत्रफल 1.5135, 2.2339 कुल क्षेत्रफल 3.7474 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 08 से 10, खसरा नम्बर 450/274,

31/10/23  
उपखण्ड अधिकारी  
धोरीमना(बाड़मेर)

451/274 क्षेत्रफल 1.4549, 2.2905 कुल क्षेत्रफल 3.7454 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 11 से 13, खसरा नम्बर 454/274, क्षेत्रफल 3.7473 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 14 से 15, खसरा नम्बर 458/274, 459/274 क्षेत्रफल 1.9425, 1.8049 कुल क्षेत्रफल 3.7474 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 16 से 19, खसरा नम्बर 452/274, क्षेत्रफल 0.5606 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 01 से 19 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। हमने पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार-धोरीमन्ना के आदेश की पालना में करवाए गए सीमाज्ञान की मौका फर्द दिनांक-19.03.2023 का अध्ययन किया, पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पड़ोसी खातेदारान के रूबरू मुस्तकिल बिन्दु कायम कर जरीबे चलाकर रेत के धूम्बे बनाकर मूल खसरा नम्बर 274 की सीमाये कायम कर सीमाज्ञान का कार्यशुरू किया तो पड़ोसी खातेदारो ने विवाद शुरू कर सीमाज्ञान करने से मना किया, सीमाज्ञान की कार्यवाही के दौरान पड़ोसी खातेदारान द्वारा वाद-विवाद करने पर सीमाज्ञान नहीं करवाया जा सका, इस बात का उल्लेख किया है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण के खेत पटवार मण्डल उड़ासर ग्राम विनायक नगर के मूल खसरा नम्बर 274 क्षेत्रफल 23.0428 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम वर्तमान खसरा नम्बर 448/274, 453/274 क्षेत्रफल 0.4613, 3.2860 कुल क्षेत्रफल 3.7473 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 01 से 03, खसरा नम्बर 455/274, 456/274, 457/274 क्षेत्रफल 0.6799, 1.2626, 1.8049 कुल क्षेत्रफल 3.7474 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 04 से 07, खसरा नम्बर 449/274, 460/274 क्षेत्रफल 1.5135, 2.2339 कुल क्षेत्रफल 3.7474 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 08 से 10, खसरा नम्बर 450/274, 451/274 क्षेत्रफल 1.4549, 2.2905 कुल क्षेत्रफल 3.7454 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 11 से 13, खसरा नम्बर 454/274, क्षेत्रफल 3.7473 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 14 से 15, खसरा नम्बर 458/274, 459/274 क्षेत्रफल 1.9425, 1.8049 कुल क्षेत्रफल 3.7474 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 16 से 19, खसरा नम्बर 452/274, क्षेत्रफल 0.5606 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 01 से 19 की सीमा तक स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत होगा।

--- आदेश ---



अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिए जाते हैं कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पटवार मण्डल उड़ासर ग्राम विनायक नगर के मूल खसरा नम्बर 274 क्षेत्रफल 23.0428 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम वर्तमान खसरा नम्बर 448/274, 453/274 क्षेत्रफल 0.4613, 3.2860 कुल क्षेत्रफल 3.7473 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 01 से 03, खसरा नम्बर 455/274, 456/274, 457/274 क्षेत्रफल 0.6799, 1.2626, 1.8049 कुल क्षेत्रफल 3.7474 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 04 से 07, खसरा नम्बर 449/274, 460/274 क्षेत्रफल 1.5135, 2.2339 कुल क्षेत्रफल 3.7474 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 08 से 10, खसरा नम्बर 450/274, 451/274 क्षेत्रफल 1.4549, 2.2905 कुल क्षेत्रफल 3.7454 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 11 से 13, खसरा नम्बर 454/274, क्षेत्रफल

31.10.23  
उत्तरप्रदेश अधिकारी  
धोरीमन्ना (वाइस)

3.7473 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 14 से 15, खसरा नम्बर 458/274, 459/274 क्षेत्रफल 1.9425, 1.8049 कुल क्षेत्रफल 3.7474 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 16 से 19, खसरा नम्बर 452/274, क्षेत्रफल 0.5606 हेक्टेयर प्रार्थी संख्या 01 से 19 का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 111 में वर्णित विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे-खर्चे से उसके मूल खसरा नम्बर 274 क्षेत्रफल 23.0428 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम वर्तमान खसरा नम्बर 448/274, 453/274 क्षेत्रफल 0.4613, 3.2860 कुल क्षेत्रफल 3.7473 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 455/274, 456/274, 457/274 क्षेत्रफल 0.6799, 1.2626, 1.8049 कुल क्षेत्रफल 3.7474 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 449/274, 460/274 क्षेत्रफल 1.5135, 2.2339 कुल क्षेत्रफल 3.7474 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 450/274, 451/274 क्षेत्रफल 1.4549, 2.2905 कुल क्षेत्रफल 3.7454 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 454/274, क्षेत्रफल 3.7473 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 458/274, 459/274 क्षेत्रफल 1.9425, 1.8049 कुल क्षेत्रफल 3.7474 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 452/274, क्षेत्रफल 0.5606 हेक्टेयर के पड़ोसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।



(लाखाराम) अधिकारी  
उपरखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन भू-जमिलेख अधिकारी,  
धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 31/10/2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(लाखाराम) अधिकारी  
उपरखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन भू-जमिलेख अधिकारी,  
धोरीमन्ना, बाड़मेर